उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट 2009-14, 20वाँ तल, मैगनम ग्लोबल पार्क, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर- 58, गुरुग्राम (हरियाणा)- 122011
सीआईएन : U64990HR2016PTC057984

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) अधिग्रहण सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगान्तर्गत, यहाँ इसमें निम्न विवरणितानुसार ऋणकर्ता/ओं को माँग सूचनायें निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित ऋणकर्ताओं को सूचना में अंकित राशि का, भुगतान की वास्तविक तिथि तक आकलित समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उक्त ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहाँ निम्न तालिका में 17–जून–2026 पर भौतिक अधिग्रहण / रिस्टोर्ड कर लिया है।

ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहाँ इसमें निम्न वर्णितानुसार राशि तथा संबंधित तिथियों से लेकर के पूर्ण भुगतान होने तक इस पर राशि पर आकलित भावी ब्याज, लागतों एवं शुल्कों हेतु उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। ऋणकर्ताओं, सह–ऋणकर्ताओं एवं गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया देयराशियों, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित माँग सूचना तथा उसके अंतर्गत दावाकृत राशि और अधिग्रहण की तिथि के विवरण यहाँ नीचे दिये गये अनुसार हैं :

क्र. सं.	ऋणकर्ता, सह–ऋणकर्ता, गारंटर का नाम एवं पता, ऋण खाता सं. तथा ऋण राशि	माँग सूचना तिथि	भौतिक अधिग्रहण तिथि
1.	1. सुनील मोहम्मद पुत्र हनीफ खान (ऋणकर्ता), 2. हुस्ना पत्नी सुनील मोहम्मद (सह–ऋणकर्ता), उपरोक्त दोनों निवासी– ग्राम खेड़की जट्टान, खेड़ीजट्टान लखनौरा अंबाला हरियाणा 134203 ऋण संख्या : **LXYMN04123-240026363** ऋण अनुबंध तिथि : 18–जुलाई–2023 ऋण राशि : रु. 6,20,000/–	09–मई–25	17–दिसंबर–2025
		देयराशि रु. में	
		रु. 6,21,390/– (रुपये छह लाख इक्कीस हजार तीन सौ नब्बे मात्र) तिथि 09–मई–2025 के अनुसार + 10–मई–2025 से भावी ब्याज तथा अन्य शुल्क	

प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण : प्लॉट/मकान वाली संपत्ति विशिष्ट पहचान संख्या यूआईडी 572970378 संपत्ति कोड (एलजीडी कोड +N00m1s00r L 378 A) क्षेत्रफल लगभग 148.655 का वह संपूर्ण हिस्सा तथा भूखंड जो ग्राम खेड़ी जट्टान तहसील नारायणगढ़ जिला अंबाला के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित है। पंजीकृत स्वामित्व संख्या 6007 तिथि 13/06/2021 तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार सीमाएं :– पूर्व– दीपा का प्लॉट, पश्चिम– टाइल वाली गली, उत्तर– बलबीर का मकान, दक्षिण– दीपा का मकान तथा मवेशी शेड

दिनांक : 18–जून–2026 | प्राधिकृत अधिकारी, श्री दीपक सिंह, मोबा. 8928628043
स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा | उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नं. 2009-14, 20वाँ तल, मैग्नम ग्लोबल पार्क, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर 58, गुरुग्राम (हरियाणा)- 122011
सीआईएन : U64990HR2016PTC057984

मकान की वस्तुएं हटाने की सूचना

एतद्द्वारा सामान्य जनता और विशेष रूप से ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/गारंटर, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका भौतिक कब्जा मैसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 17–06–2026 को ले लिया गया है।

ऋणकर्ता(ओं) / सह–ऋणकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों) के नाम एवं पते	संपत्ति का विवरण
1. सुनील मोहम्मद पुत्र हनीफ खान (ऋणकर्ता), 2. हुस्ना पत्नी सुनील मोहम्मद (सह–ऋणकर्ता), उपरोक्त दोनों निवासी– ग्राम खेड़की जट्टान, खेड़ीजट्टान लखनौरा अंबाला हरियाणा 134203 ऋण संख्या : **LXYMN04123-240026363** ऋण अनुबंध तिथि : 18–जुलाई–2023 ऋण राशि : रु. 6,20,000/–	प्लॉट/मकान वाली संपत्ति विशिष्ट पहचान संख्या यूआईडी 572970378 संपत्ति कोड (एलजीडी कोड +छ00उ1ठ0त ₹ 378 ।) क्षेत्रफल लगभग 148.655 का वह संपूर्ण हिस्सा तथा भूखंड जो ग्राम खेड़ी जट्टान तहसील नारायणगढ़ जिला अंबाला के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित है। पंजीकृत स्वामित्व संख्या 6007 तिथि 13/06/2021 तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार सीमाएं :– पूर्व– दीपा का प्लॉट, पश्चिम– टाइल वाली गली, उत्तर– बलबीर का मकान, दक्षिण– दीपा का मकान तथा मवेशी शेड

एतद्द्वारा हम आपको आगे सूचित करते हैं कि आप इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपरोक्त परिसरों से अपना सामान / घरेलू वस्तुएं हटा लें और यदि आप निर्धारित समय के भीतर किसी भी माध्यम से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अपनी वस्तुएं हटाने के इच्छुक हैं, तो हमें लिखित रूप में सूचित करें। ऐसा न करने पर उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस किसी भी प्रकार के नुकसान, क्षति या चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी और वस्तुओं का प्रस्तावित उच्चतम सफल बोलीदाता/ओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार "जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर निस्तारण / विक्रय कर दिया जायेगा।

दिनांक : 18–जून–2026 | प्राधिकृत अधिकारी, श्री दीपक सिंह, मोबा. 8928628043
स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा | उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank

वसूली अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
प्रथम तल, डीडीए बिल्डिंग, वर्धमान ट्रेड सेंटर, नेहरू प्लेस, दिल्ली– 110019
rosdelrec@canarabank.com

REF: CB/6971/GL/AUCTION/02/2026-27 | दिनांक: 12-06-2026

लाडो सराय शाखा

नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अनेक नोटिस दिए जाने के बावजूद ऋण खातों में बकाया देयता का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अतः उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे 03–07–2026 तक समस्त बकाया देयता एवं अन्य प्रभारों का भुगतान कर गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का मोचन करा लें। अन्यथा, उक्त प्रतिभूतियों को बैंक की प्रक्रिया के अनुसार, उधारकर्ता के खर्चे पर, बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार से, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा। उक्त नीलामी 03–07–2026 को दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वर्ण आभूषणों की नीलामी "जैसी है जहाँ है के आधार पर", "जो कुछ उपलब्ध है उसी आधार पर" तथा "बिना किसी प्रत्यावर्तन दायित्व के आधार पर" सख्ती से की जाएगी। स्वर्ण आभूषणों का निरीक्षण बैंक अधिकारी से पूर्व नियुक्ति प्राप्त कर **01–07–2026** को प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा स्पष्टीकरण हेतु सुश्री सौम्या चकमा, प्रबंधक, मोबाइल नं. 8787469762 से संपर्क किया जा सकता है।

क्र. सं.	ऋण की तिथि	ऋण संख्या	कर्जदार का नाम एवं पता	देनदारी (रु.)
1	28-01-2025	164053402128	विकास सी/ओ सुरेंद्र, मकान नंबर 132 बालीकि चौपाल के पास पो मैदान गढ़ी जिला दक्षिण दिल्ली दिल्ली 110068	₹ 61,459.00

वरिष्ठ प्रबंधक, वसूली एवं कानूनी अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण दिल्ली

इंडियन बैंक Indian Bank

वेस्ट पटेल नगर शाखा
कॉटेज 26, वेस्ट पटेल नगर,
पश्चिमी दिल्ली 110008

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए) [नियम 8 (1) देखिए]

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **इंडियन बैंक, शाखा - वेस्ट पटेल नगर** के अधिकृत अधिकारी के रूप में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 20.08.2025 को मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों **श्री सकलैन शाहिदी, पुत्रः शाहिद अहमद शोएब और श्रीमती नाजिया मंजूर, पत्नीः सकलैन शाहिदी, दोनों निवासीः डी-23, पहली मंजिल, नांगल देवात, वसंत कुंज, दक्षिण पश्चिम दिल्ली 110070 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि** 20.08.2025 तक देय रु. 91,61,390.00/– (रुपये ईक्यानबे लाख इकसठ हजार तीन सौ नब्बे मात्र) तथा उस पर भुगतान की तारीख तक संविदात्मक दर से आगे का ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चों को चुकाने का निर्देश दिया।

ऋणधारक/गारंटर बकाया राशि चुकाने में बिफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक और आम जनता को सूचना दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आज दिनांक 16 जून, 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारक और सामान्य जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे इस संपत्ति का कोई लेनदेन न करें, तथा इस संपत्ति पर कोई भी लेनदेन 20.08.2025 **तक देय रु. 91,61,390.00/– (रुपये ईक्यानबे लाख इकसठ हजार तीन सौ नब्बे मात्र) तथा उस पर भुगतान की तारीख तक संविदात्मक दर से आगे का ब्याज, लागत, प्रभार और खर्चों के लिये इंडियन बैंक, पंजाबी बाग शाखा के चार्ज के अधीन होगा।**

ऋणधारक का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

यूनिट नं. R018G012002, फ्लैट नं. 2002, 20वीं मंजिल, टावर/ब्लॉक जी-1, इको विलेज-1, मैसर्स सुपरटेक लिमिटेड, प्लॉट नं.08, सेक्टर 01, कुल क्षेत्रफल 2364 वर्ग फीट, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201303; चौहद्दीः
पूर्वः साइट के अनुसार | पश्चिमः साइट के अनुसार
दक्षिणः साइट के अनुसार | उत्तरः साइट के अनुसार

दिनांकः 16.06.2026, स्थानः दिल्ली | अधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

प्राइवेट इक्विटी क्षेत्र में एक फंड (**"फंड"**), जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के अंतर्गत श्रेणी–।। वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकृत, "जैसा है जहाँ है" के आधार पर उपलब्ध फंड की यूनिटों के अधिग्रहण हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। बोलियां आमंत्रित करने का यह निमंत्रण फंड की यूनिटों के न्यूनतम 25% के लिए है, जो फंड के निवेश पोर्टफोलियो में अवपरिसमापित निवेशों के समेकित मूल्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। इच्छुक पक्ष नीचे उल्लिखित संपर्क विवरणों पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके पश्चात उन्हें इन असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में आगे की जानकारी प्राप्त करने हेतु एक गोपनीयता प्रकटीकरण निषेध अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।

इच्छुक पक्षों से बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस सूचना की तिथि से 10 दिन है। हम इस आमंत्रण को निरस्त करने और/अथवा इस आमंत्रण में संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के नए आवेदन आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, तथा ऐसे आमंत्रण के संबंध में किसी भी दायित्व/उत्तरदायित्व के बिना और कोई कारण बताए बिना है।

सम्पर्क विवरण – **mic.infobids@gmail.com**

SBI

भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त परिसंपत्ति वसूली शाखा-।
प्रथम तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015,
दूरभाषः 011-25419177, 25412977, ई-मेलः sbi.05169@sbi.co.in

खोए/गुम हुए टाइटल डीड्स

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, श्री मोहसिन खान ने भारतीय स्टेट बैंक से ऋण खाता संख्या 39591758596 के माध्यम से ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं। शाखा से एसएआरबी–1, नई दिल्ली में फाइल के स्थानांतरण के दौरान, उधारकर्ता द्वारा उपर्युक्त ऋण सुविधाएं प्राप्त करने हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा किए गए शीर्षक दस्तावेज बैंक अभिलेखों से गुम हो गए थे।

दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है:

1. विक्रय विलेख दिनांक 03.02.2011, जो श्री बशीर खान पुत्र श्री शाकुर खान द्वारा श्री मोहसिन खान पुत्र श्री बशीर खान के पक्ष में निष्पादित किया गया, उप–रजिस्ट्रार VIII, नई दिल्ली के समक्ष 18.02.2011 को पंजीकृत, पंजीकरण संख्या 3227, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 5280 में, पृष्ठ संख्या 74 से 83 पर दर्ज।
2. वसीयत विलेख दिनांक 12.12.1982, जो श्री अब्दुल कादिर पुत्र श्री शाकुर खान द्वारा श्री बशीर खान के पक्ष में निष्पादित किया गया।
3. वसीयत विलेख दिनांक 12.12.1983, जो श्री फयास खान पुत्र श्री शाकुर खान द्वारा श्री बशीर खान पुत्र श्री शाकुर खान के पक्ष में निष्पादित किया गया।
4. रसीद दिनांक 10.02.1981।
5. वसीयत विलेख दिनांक 10.02.1981, जो श्री राधे श्याम पुत्र श्री हरि लाल द्वारा श्री फयाज खान और श्री अब्दुल कादिर के पक्ष में निष्पादित किया गया
6. जीपीए दिनांक 10.02.1981, जो श्री राधे श्याम पुत्र श्री हरि लाल द्वारा श्री फयाज श्याम पुत्र श्री हरि लाल द्वारा श्री फयाज खान और श्री अब्दुल कादिर के पक्ष में निष्पादित किया गया।
7. जीपीए दिनांक 12.12.1983, जो श्री फयाज खान और श्री अब्दुल कादिर, पुत्रगण श्री शाकुर खान द्वारा श्री बशीर खान पुत्र श्री शाकुर खान के पक्ष में निष्पादित किया गया।
8. रसीद दिनांक 12.12.1983, राशि रु. 28,800/– के लिए
9. अनुबंध विलेख दिनांक 12.12.1983, जो फयाज खान और श्री अब्दुल कादिर, पुत्रगण श्री शाकुर खान द्वारा श्री बशीर खान पुत्र श्री शाकुर खान के पक्ष में निष्पादित किया गया।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि भविष्य में दस्तावेज मिलते हैं, तो बैंक उनका दुरुपयोग नहीं करेगा और दस्तावेजों को नीलामी खरीदार को वापस कर देगा, क्योंकि यह संपत्ति ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) – ।।।, दिल्ली के माध्यम से बेची जा चुकी है।

दिनांकः 15.06.2026 | अधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

भोगल शाखा
696, बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल रोड, भोगल, जंगपुरा, नई दिल्ली – 110014
फोन न. 011.24370573/24374095 ईमेल–bhogal@bankofbaroda.co.in

लॉकर धारकों को नोटिस–बैंक ऑफ बड़ौदा लॉकर के किराए का भुगतान करने में चूककर्ता

यह हमारे मूल्यवान संरक्षकों की जानकारी के लिए है, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, **भोगल शाखा** में लॉकर किराए पर लिए हैं और अनुबंध का उल्लंघन किया है। आरबीआई/बैंकों के दिशा–निर्देशों के अनुसार लॉकर धारकों को उनके दर्ज पते पर भेजे गए नोटिस बिना डिलीवर किए या जवाब दिए वापस आ गए हैं। लॉकर धारकों से उनके दर्ज पते पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के प्रयास भी व्यर्थ गए और उनका वर्तमान ठिकाना पता नहीं चल सका। इस प्रकार, कोई विकल्प न होने के कारण, यह नोटिस नीचे दिए गए सभी व्यक्तियों को दिया जा रहा है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 90 दिनों की अवधि के भीतर बैंक ऑफ बड़ौदा, **भोगल शाखा** से संपर्क करके बैंक का बकाया चुकाएं, ऐसा न करने पर बैंक अपनी लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर लॉकर को तोड़ देगा और बैंक इस कार्य के लिए बकाया किराया, लागत और अन्य शुल्कों की वसूली के लिए वस्तुओं पर अपने ग्रहणाधिकार के अधिकार का प्रयोग करेगा।

क्र.सं.	पुराना लॉकर नं.	नया लॉकर नं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	देय तिथि	अंतिम सूचना भेजने की तिथि	बकाया राशि दिनांक 16.06.2026 तक (INR में)
1	131	0664AX0222	भारत भूषण	बी–21, विश्व कर्म कॉलोनी, प्रह्लाद पुर, दिल्ली – 110044	10-07-2022	06-03-2026	14396/-
2	776	0664AX0009	रेखा वालिया	1/3A हॉस्पिटल रोड, जंगपुरा नई दिल्ली 110014	01-10-2021	06-03-2026	16134/-

कृपया ध्यान दें कि यदि लॉकर को तोड़ा जाता है और बैंक दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुसार उसकी सामग्री का निपटान किया जाता है, तो बैंक अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा और ग्राहक द्वारा उठाए गए किसी भी लागत, हानि या दायित्व (लॉकर की सामग्री की किसी भी क्षति और/या हानि सहित) के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

शाखा प्रबंधक

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

चित्तरंजन पार्क, शाखा सी–405 ए, चित्तरंजन पार्क
नई दिल्ली–110019

लॉकर संचालन के संबंध में सूचना

नाम	लॉकर नंबर
तपस रॉय और सोनिया रॉय	310
शैलेश चंद्र चक्रवर्ती	618
आशीष अरोड़ा	650
सुमिता रे	870
सुमिता रे	871
पंचदीप बिस्वास	964
रुक्मिणी चटर्जी	1062
भारती शर्मा	1641
चरणजीत कौर पत्नी श्री रविंद	1690
हर्ष नैयर	863
पपीया रॉय	391
अजीत कुमार बसु और कल्पना बस	531
प्रणोति मुखर्जी	549
मनोज कुमार अरुणा विज	867
मेसर्स. नटक्रैकर्स	905
अमीया कुमार भट्टाचार्य	974
शशांक अस्थाना	992
राज मेडिको	1051
अनिर्वाण मुखर्जी सोमा मुखे	1414
नमिता बसाक भास्कर बसाक	1524
शशांक अस्थाना	1560
अंजना सेन गुप्ता	1718
अमीया कुमार सरकार	2159

जबकि आप उपर्युक्त लॉकर धारकों ने लॉकर शुल्क के भुगतान में चूक की है और बैंक द्वारा पंजीकृत पते पर दिए गए विभिन्न नोटिसों के बावजूद शाखा से संपर्क नहीं किया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर शाखा से संपर्क करें और बैंक का बकाया तुरंत चुका दें।

चूंकि आपने बकाया राशि घोषित नहीं की है तथा बकाया राशि की वसूली के लिए परिश्रमपूर्वक तथा बार–बार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद आप अभी भी चूककर्ता हैं। परिणामस्वरूप, किराये पर लिए गए लॉकर पर आपके सभी अधिकार समाप्त हो गए और बैंक आपको आवंटित लॉकर को पुनः अपने कब्जे में लेने का हकदार हो गया।

जबकि, पुनः कब्जा करने के उक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए बैंक ने आपके उक्त लॉकर पर कब्जा कर लिया और नीचे दी गई तारीख को आपकी लागत और परिणामों पर उसे तोड़ने का निर्णय लिया।

चितरंजन पार्क, शाखा (5083) | 09–07–2026

आपसे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है।

एसडी/– अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

शाखाः आनंदलोक कॉलोनी
दुकान संख्या 1 स्थानीय शॉपिंग सेंटर, मस्जिद मोथ, डीडीए मार्केट, उदय पार्क,
नई दिल्ली–110049 आईएफएससी कोडः प्क्ठ0000।626
फोन : 011–41099477, 41099462
ईमेल : anandlokcolony@indianbank.co.in

लॉकर ऑपरेशन के संबंध में सूचना

क्र.सं.	नाम	लॉकर आईडी
1	सुषमा कुमार	LN1014
2	अशोक कुमार देव	LN986
3	आरके शर्मा और कमलेश शर्मा	LN434
4	मदन गोपाल सिंह	AL457
5	प्रमोद कुमार	LN656
6	हरिश गुलाटी और दीप्ति गुलाटी	LN570
7	रेनू बाला	AL644
8	गुरप्रीत कौर	LN 268] LN610
9	सुभाष रस्तोगी	AL87
10	रुबल जाखड़	LN755
11	नटर प्रकाश सिंह	AL 492
12	एसबी देशप्रभव	AL97
13	हरदीपक मरवाह	LN 675
14	राज कुमार त्रिखा	LN566
15	रविंदर सिंह चड्ढा	LN259

चूंकि आप ऊपर बताए गए लॉकर होल्डर लॉकर फीस का भुगतान करने में चूक गए हैं और बैंक द्वारा आपके रजिस्टर्ड पते पर कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद आपने ब्रांच से संपर्क नहीं किया है, इसलिए आपको इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर ब्रांच से संपर्क करने और बैंक का बकाया तुरंत चुकाने के लिए कहा जाता है।

चूंकि आपने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है और बकाया राशि की वसूली के लिए लगातार और बार–बार कोशिशों के बावजूद आप अभी भी भुगतान करने में विफल रहे हैं। नतीजतन, किराए पर लिए गए लॉकर पर आपके सभी अधिकार खत्म हो गए हैं और बैंक को आपको आवंटित लॉकर का कब्जा वापस लेने का अधिकार है।

चूंकि, कब्जा वापस लेने के इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बैंक ने आपके लॉकर का कब्जा ले लिया है और नीचे दी गई तारीख को आपके खर्च और जोखिम पर इसे तोड़ने का फैसला किया है।

आनंदलोक 4707 | 30/06/2026

आपको इसके जरिए सूचित किया जाता है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तय समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें।

हस्ताक्षर/– अधिकृत हस्ताक्षरकता

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

अंचल कार्यालयः बी–192/ए, सेक्टर 52, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.–201301
ईमेल आईडीः recovery_noi@bankofmaharashtra.bank.in
मुख्य कार्यालयः लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे–5

[नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, के अधिकृत अधिकारी हैं, जो कि प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण वित्तीय आस्तियों तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्यरत हैं, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 की उप–धारा (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित दिनांकित डिमांड नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उधारकर्ता तथा गारंटर को नीचे उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया था। यह नोटिस पंजीकृत ए.डी. डाक तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था।

उधारकार्त द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित में वर्णित संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा उक्त नियमों के निम 8 के साथ पठित, नीचे उल्लिखित तिथियों पर ले लिया है।

उधारकर्ता विशेष रूप से और सामान्य जनता को एतद् द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वह संपत्ति के साथ कोई लेन–देन न करें, और संपत्तियों के संबंध में किया गया कोई भी लेन–देन उपर्युक्त राशि के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शखा के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त (रिडीम) करने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं और गारंटर(ओं) के नाम एवं पता	संपत्ति का विवरण	मांग की तिथि / कब्जे की तिथि	देय राशि
1.	शाखा : मुरादाबाद **1) मेसर्स हरि बाबा ट्रांसपोर्ट,** प्रो. श्री विशाल सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह, पताः – मकान सं. 368, एयरटेल टावर के पास, पोस्ट ऊँचा गाँव, ग्राम रुस्तमपुर बदमार, थाना कटघर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड– 244001। **2)** श्री विशाल सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रो. मेसर्स हरि बाबा ट्रांसपोर्ट, पताः – 368, रुस्तमपुर बदमार, पोस्ट ऊँचा गाँव, थाना कटघर, मुरादाबाद, पोस्ट और तहसील मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश पिन कोड– 244001। **3)** श्री विशाल सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह, पताः – 368, रुस्तमपुर बदमार, पोस्ट ऊँचा गाँव, थाना कटघर, मुरादाबाद, पोस्ट और तहसील मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। **4)** श्री धीरेंद्र सिंह पुत्र श्री सूरजपाल सिंह, पता– रुस्तमपुर बदमार, पोस्ट ऊँचा गाँव, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 244001। **5)** श्री विवेक कुमार सिंह पुत्र श्री धीरेंद्र सिंह, पता– ऊँचा गाँव, रुस्तमपुर बदमार, मुरादाबाद, पोस्ट और तहसील मुरादाबाद पिन कोड – 244001. **6)** श्रीमती साधना पत्नी श्री विशाल सिंह, पता– सी/ओ प्रकाश सिंह, पीतल नगरी, पोस्ट कटघर, जिला मुरादाबाद पिन कोड 244001	**मालिक का नामः श्री विशाल सिंह, पुत्र श्री धीरेंद्र सिंह** **संपत्ति 1 का विवरणः** आवासीय संपत्ति का सम्यक बंधक, स्थित गाटा नंबर 55, 56, 60 क एवं 66 मिन का भाग, मोहल्ला सेओहरा गोविंद, वर्तमान में गोविंद नगर, मुरादाबाद, तहसील एवं जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 244001, क्षेत्रफल 70.00 वर्ग मीटर, जो श्री विशाल सिंह, पुत्र श्री धीरेंद्र के स्वामित्व में है, और जिसकी सीमाएँ निम्नलिखित हैः– पूर्व– नोत्तम का घर, पश्चिम– नत्थू लाल शर्मा का प्लॉट, उत्तर– रास्ता 12 फीट चौड़ा, दक्षिण– बृजराज सिंह का प्लॉट **CERSAI Asset ID No- 200064907997**	06.04.2026 **कब्जा सूचना की तिथि 15.06.2026**	रु. 24,75,350.86 साथ ब्याज और अन्य शुल्क/व्यय दिनांक 06/04/2026 से प्रभावी
2.	शाखा : देवरी रोड, आगरा **1.** श्री राजेश पुत्र ललता प्रसाद (उधारकर्ता), पताः पुत्र स्वर्गीय ललता प्रसाद, 30/104, राजा की मंडी, किदवई पार्क, आगरा, लोहा मंडी, उत्तर प्रदेश, 282002 **2.** श्रीमती सुनीता पत्नी राजेश (सह–उधारकर्ता), पताः पत्नी राजेश, 30/104, राजा की मंडी, किदवई पार्क, आगरा कैंट, आगरा, आगरा, उत्तर प्रदेश, 282001	**मालिक का नामः श्री राजेश पुत्र ललता प्रसाद** **संपत्ति 1 की विवरणः** आवासीय मकान का समतुल्य बंधक नंबर 34, खसरा नंबर 206, स्थित कैलाश विहार, फेजः 4 (ओमश्री टाउन), मौजा राजराय, तहसील एवं जिला आगरा में स्थित, क्षेत्रफल 89.88 वर्ग मीटर। यह संपत्ति श्री राजेश पुत्र ललता प्रसाद के स्वामित्व में है तथा निम्न प्रकार से सीमांकित हैः– पूर्वः अन्य की सम्पत्ति, पश्चिमः 25 फीट चौड़ा रास्ता; उत्तर